अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2006

सं. एल-7/25(7)/2004-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए आवेदन करने, आवेदन का प्रकाशन और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2004 जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए आवेदन करने, आवेदन का प्रकाशन और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2006 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **विनियम 3 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (6) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जा सकेगा, अर्थात्:-

> "परंतु यह कि अनंतिम टैरिफ के अनुमोदन के लिए किए गए आवेदन की सूचना प्रकाशित करना आवश्यक नहीं होगा।"

के. एस. ढींगरा, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन-III/IV/150/2006/असा.]

टिप्पण : मूल विनियम तारीख 3.8.2004 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे।